



Indian-Non Judicial Stamp Haryana Government



Date : 08/07/2019

Certificate No. E0H2019G5

IRN No. 50806410

Stamp Duty Paid : ₹ 450
(Rs. Only)Penalty : ₹ 0
(Rs. Zero Only)

Seller / First Party Detail

Name: Lajpat Rai and Hakikat rai

No/Floor : X

Sector/Ward : X

LandMark : X

City/Village : Bhankri

District : Faridabad

State : Haryana

Phone : 0



Buyer / Second Party Detail

Name : Parveen Kumar Fagna

No/Floor : 3c/35

Sector/Ward : X

LandMark : X

City/Village : Nit faridabad

District : Faridabad

State : Haryana

Phone : 0

Purpose : Lease Agreement

The authenticity of this document can be verified by scanning this QrCode Through smart phone or on the website <https://egrashry.nic.in>



पट्टानामा 30 साल चकौता मु0 3,000/-रुपये, समझना।
स्टाम्प मु0 450/-रुपये,

Registration Fee GR No. 0052965779

हमके लाजपत राय (आधार नं0-8449 0543 7979) व श्री हकीकत राय (आधार नं0-9027 4115 1781) पुत्रान स्व0 श्री भरत सिंह निवासी गण गांव भांखड़ी, तहसील बड़खल, जिला फरीदाबाद, हरियाणा, के हैं।

शेष पेज 2.....

Lajpat Rai

Hakikat Rai

Parveen

जो कि हम वाका मौजा भांखडी, तहसील बड़खल, जिला फरीदाबाद, हरियाणा में अराजी जरई खेवट/खाता नं० 155/145, खतौनी नं० 163 मिन, खसरा नं० 243/2, रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा पुख्ता के समभाग बरूवे जमाबन्दी साल 2011-2012 द्वारा मालिक कामिल काबिज हैं। और मौके पर हमारा अपना कब्जा है। यह कि उक्त रकबा हर प्रकार की जेरबारी व देनदारी, रहन, बय, डिग्री, कुर्की, जमानत, किफालत, पट्टा, तंबादला, तितम्मानामा, हिब्बानामा, आदि से पाक साफ है। इससे पहले हमने उक्त रकबा को किसी अन्य के पास किसी भी रूप में बन्धित या हस्तान्तरित ना किया है और ना ही ऐसा करने के लिये कोई लिखित या मौखिक इकरार किसी अन्य के साथ ना किया है। हमें इस सम्पति को पट्टा आदि पर देने का पूर्ण हक हांसिल है। हमारे द्वारा इस सम्पति को पट्टा आदि पर दिये जाने में कोई कानूनी अड़चन ना है और उक्त जायदाद की बावत किसी भी अदालत में कोई झगडा, मुकदमा आदि जेर तजबीज नहीं है और ना ही उक्त सम्पति की बावत किसी भी अदालत का कोई स्टे आदि ना लगा हुआ है। अपनी दीगर सम्पति की तरक्की, हैसियत के लिये बराये जरूरयात खानगी वा खानदानी धन की जरूरत है और उक्त अराजी से कोई मफाद ना हो रहा है। इसलिये अब हमने अपने परिवार के मफाद को जरूरयात को मददे नजर रखकर अपने उपरोक्त हिस्सा रकबा में से उत्तर-पूर्वी भाग रकबा 12 बिस्वा पुख्ता यात्रि रकबा 1815 वर्गगज, को बराये मियाद आज से 30 साल (तीस साल) अर्थात आज दिनांक 08/07/2019 से दिनांक 07/07/2049 तक के लिये बाचकौता मु० 3,000/-रुपये, (तीन हजार रुपये) सालाना के हिसाब से पास श्री प्रवीन कुमार फागना (आधार नं०-7322 5438 1916) पुत्र श्री लाजपत राय निवासी मकान नं० 3-सी/35, तहसील बड़खल, एन०आई०टी० फरीदाबाद, हरियाणा, को पट्टे पर दे दिया है। यह कि जरे चकौता मुकरा बाला हर साल माह

शेष पेज 3.....

Lajpat Rai

Hakulal Rai



Praveen

जुलाई में वसूल करते रहेंगे। यह कि कब्जा मौका पर हवाले पट्टा ग्रहीता के कर दिया है। पट्टा ग्रहीता को हक होगा कि उक्त अराजी को किसी भी इस्तेमाल में लावे, दफतर बनावे, किसी को पट्टे पर दे, मर्जी जिस किसी इस्तेमाल में लावे, आगे किसी अन्य को पट्टे पर दे, सब्लैट करे, हमें वा हमारे वारिसान को कोई उजर वा ऐतराज ना होगा। यह कि उक्त रकबा हर प्रकार की जेरबारी, देनदारी, नुक्स मिलकीयत आदि से पाक साफ है। अगर कोई किसी किस्म की नुक्स मिलकीयत, जेरबारी, देनदारी आदि निकलेगी तो हम पट्टा ग्रहीता के तमाम हर्जा खर्चा के देनदार व जिम्मेवार पाबन्द रहेंगे। यह कि हमें पट्टा ग्रहीता को मियाद से पहले रकबा से बेदखल करने का हक नहीं होगा। पट्टा ग्रहीता मौजूद है जो कि पट्टा को स्वीकार करता है। खर्चा पट्टा नामा तमाम पट्टा ग्रहीता ने किया है। पट्टा ग्रहीता सम्बन्धित विभाग में उक्त रकबा को अपने नाम करा लेवे। हमें कोई उजर वा ऐतराज ना होगा। उक्त रकबा बड़खल पाली रोड से लगता हुआ है। अतः यह पट्टानामा 30 साल हमने सुन, सोच, समझ कर अपनी तमाम की तमाम इन्द्रियों की स्वस्थ एवं चेतन अवस्था में बिना किसी जोर दबाव एवं बहकाव, फुसलाव आदि के अपने शुद्ध अन्तःकरण से रोबरू गवाहान के लिख दिया है ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आवे। दिनांक:-

ह0 पट्टा देहिन्दा

श्री लाजपत राय व श्री हकीकत राय

Lajpat Rai

Hakeekat Rai



[Signature]

[Signature]

ह0 पट्टा ग्रहीता

श्री प्रवीन कुमार फागना

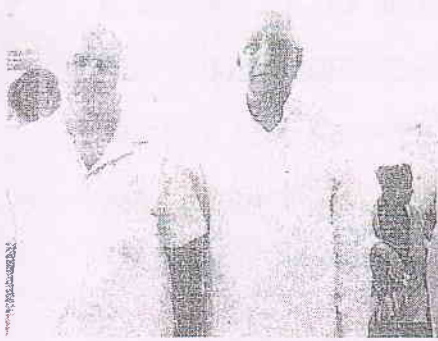
[Signature]

गवाह नं0 2

ज्ञानेन्द्र पुत्र श्री बुद्धन सिंह
निवासी गांव भैंसरावली, उप.तहसील
दयालपुर, जिला फरीदाबाद।

[Signature]

Reg. No. 2645 Reg. Year 2019-2020 Book No. 1



पट्टा देने वाला



पट्टा लेने वाला



गवाह

पट्टा देने वाला

Lajpat Rai

Hakikat Rai

Hakikat Rai

पट्टा लेने वाला

Pravesh Kumar Phagna

Pravesh

गवाह 1: MK Chaur Adv

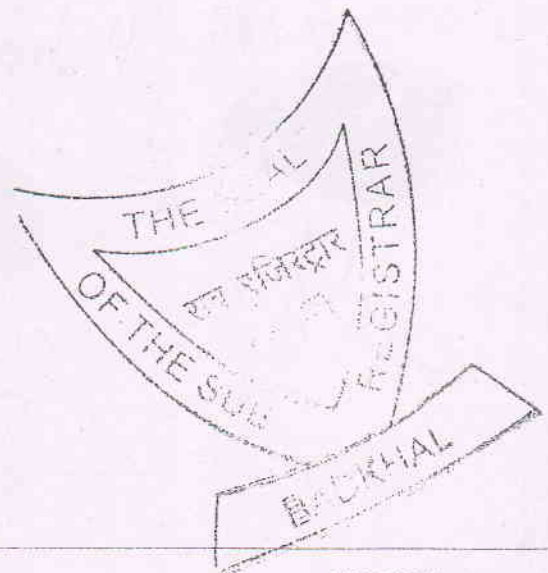
गवाह 2:- Gyaender

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 2,645 आज दिनांक 08/07/2019 को बही न: 1 जिल्द न: 3 के पृष्ठ न: 59 पर पंजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 1 जिल्द न: 77 के पृष्ठ सख्या 74 से 76 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहों ने अपने दस्ताक्षर/निशान अंगुठा मेरे सामने किये है ।

दिनांक 08/07/2019

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी
बड़खल



नक़्खीमाबन्दी गांव

बैंकड़ी तहसील

व

जिला

फरीदकोट

साल 2011-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
खेवट या जमाबन्दी नम्बर	खतौनी नम्बर	नाम तरफ या फर्सी और जमा सहित नम्बरदार का नाम	विवरण सहित मौलिक का नाम	विवरण सहित कारतकार का नाम	कुरं या सिंचाई के अन्य साधन का नाम	नम्बर खसरा या मुरब्बे और कीले का नम्बर	रकबा और किरम जमीन	दर और संख्या के ब्योरे के साथ लगान जो मुजारा देता है।	हिस्सा या हकीयत का पैमाना और बाछ का ढंग	माल और सवाई के ब्योरे सहित भाग	अनुक्ति
155	163		लाजपतराय-डोकरा	बुद्धकाश व	कुरं या सिंचाई के अन्य साधन का नाम	117	5-18	दर और संख्या के ब्योरे के साथ लगान जो मुजारा देता है।	कच्छा		1815
145			राय सुमान अरवि सिंह	शकबुजा सातमान		243	3-19				1816
			कुम निपतर सिंह			2	3-19				1869
			दे अमबाज वासीयान			253	6-3				1870
						227	1-2				1871
						11-2	1-6				
						6-18	4-9				

अभिमान की

अभिमान की

अभिमान की

अभिमान की

अभिमान की

अभिमान की

अभिमान की

अभिमान की

अभिमान की

अभिमान की

अभिमान की

22

92-48

29/6/21

31-2-19

